

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

~~राजू सिंह~~ राजू सिंह

बनाम

मदन सिंह वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं. 42/2015

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
03.2015	<p>वाद वादीगण ने जरिये अभिभाषक के अधिन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया हैं। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.05.2015 को पेश हो।</p> <p><i>4</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p>	
05/15	<p>पत्रावली पैस इट्टी। वकील वादी उपो। मिसल कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दुधारीवाली की दिनांक 29/06/2015 को पैस हो।</p> <p>कार/पक्षकारान के प्राधियत 29/6/15</p> <p>बीटाकीय अधिनियम के अधिन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.05.2015 को पेश हो।</p> <p><i>4</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p>	
14/10/15	<p>वकील वादी उपो प्रतिवादीगणो की तलबी के अन्तगार के दिनांक 19/10/15 को पेश हो।</p> <p><i>4</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p>	



29/9/22

वकील वादी अमु। आवान
 लगाई गई। बाद आवान
 वकील वादी हाजिर नहीं आये हैं
 तथा न ही वादी स्वयं
 उपस्थित आये हैं अतः वादी
 वादी का अदालत हाजिरी एवं
 अदालत परीक्षा में उपस्थित किया
 जाता है फिलहाल निर्णय न्याय
 के तहत हीत दारिद्र्य दफ्तर
 रहे।


 सहायक कलक्टर
 (स.डी.ओ.) जयपुर